


आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक ता० से तक

जिला - राँची।

केस का प्रकार- विविध वाद संख्या 11/21-22

आदेश और तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी ता० सहित
28/9/21.	<p>आवेदक बालचन्द साहू, पिता- स्व० हरख साहू, वो सत्यम केशरी पिता स्व० रामचन्द्र साहू, मौजा पिठोरिया, थाना संख्या- 08, खाता संख्या 107 प्लॉट संख्या 733 रकबा 30 डीसमील भूमि का नामांतरण वाद संख्या 2679/2021-22 वो 2681/2021-22 द्वारा स्वीकृति पश्चात कायम जमाबंदी को निरस्त करने हेतु आवेदन समर्पित किया है।</p> <p>अतः हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के निर्देश दिया जाता है कि समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में सुस्पष्ट मन्तव्य सहित जाँच प्रतिवेदन दिनांक ..11/10/21 तक समर्पित करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक ..30/10/21.. को प्रस्तुत करें।</p> <p style="text-align: right;">  अंचल अधिकारी, काँक, राँची। </p>	
30/10/21.	<p>उपरोक्त तथ्यों के आलोक में राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया है कि मौजा सुतियाम्बे थाना संख्या 07 खाता संख्या 107 प्लॉट संख्या 733 रकबा 22.50 डीसमील भूमि का नामांतरण हेतु आपत्ति प्राप्त होने के पूर्व ही अग्रसारित किया गया था। विदित हो कि मैंने दिनांक 14-07-2021 को काँके अंचल में योगदान किया, इस हेतु प्रश्नगत मामला मेरे संज्ञान में नहीं था। जिस कारण नामांतरण वाद संख्या 2679/2021-22 वो 2681/2021-22 को राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में नामांतरण वाद संख्या 2679/2021-22 वो 2681/2021-22 के द्वारा कायम जमाबंदी के निरस्तीकरण की अनुशंसा की जाती है।</p>	

सेवा में,

अंचल अधिकारी, लोक सेवा,

विषय:- दिनांक 28/9/21 के आपत्ती के संबंध में।

महोदय,
मौजा- सुविधान्न खारा सं० 107 लोक सं० 773
रकबा 30 बी मूक्ति संबंधी विवरण निम्न है।

- (1) सर्वे आ० सं० 2 खसिया के अडुलार - मौजा- सुविधान्न
आ० सं० 8 खारा सं० 107 लोक सं० 773 रकबा 30 बी 1/4
कुआली साहु 9/10 के गज पर हक है।
- (II) मूल पत्नी के अडुलार - मौजा- सुविधान्न आ० सं० 8 खारा सं० 107
लोक सं० 773 रकबा 22 1/2 बी मूक्ति एरिप्पे परा सं० 5820
दिनांक 4/7/1978 हाथ बालचन्द्र साहु पिता-मौ 6229
साहु के हाथ लिखे की गई जिसका नमालेदी मालूम 2
मुह सं० 70 के खसिया- सुविधान्न पिता- गजेश्वर महता
के गज पर हक है।
- (III) मूल पत्नी के अडुलार - मौजा सुविधान्न आ० सं० 8 खारा सं०
107 लोक सं० 773 रकबा 7 1/2 बी 1/2 खसिया गज कुआल महता
पिता गजेश्वर महता के गज पर हक नमालेदी हक है।
- (IV) खसिया खसिया के बंदा बलचन्द्र साहु खसिया गजेश्वर
साहु के हाथ खारा सं० 107 लोक सं० 773 रकबा 30 बी
खसिया खसिया की मूक्ति लिखे किया ना हुआ है।
अतः वर्तमान में 27/9/21 तक खारा सं० 107
लोक सं० 773 में आपत्ती प्राप्त नहीं था।

ता० खारा पाद सं० 2681/21-22, 2679/21-22
का एकीकृति का विधि संबंधी कार्यवाही हेतु अडुलारित।

1
[Signature]
11/10/21

सेवा में,

अंचल अधिकारी,
कोठे, राँची।

बिषय:- दा० एका० वाफ सं. 2679/21-22 एवं 2681/21-22
के नमांतरण निरस्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त बिषय में कृषि स्थापना अधिनियम 1971 के अंतर्गत
ले कोठे अंचल में कोठे वाफ में अपना आदेश 14/7/21 को
दिया है। दा० एका० वाफ सं. 2679/21-22 एवं 2681/21-22 का
नमांतरण हेतु 26/9/21 को अधिसूचना क्रिषा गण्डा भा 10/10/21
अधिसूचना क्रमांक 107 भागा 108 द्वारा 273, 274 एवं 275 के अंतर्गत
में पूर्व में आपकी दलील रखी गई थी। जो 9 वीं अधिसूचना में
अंशिक रूप से नहीं दर्ज कारण नमांतरण स्वीकृति हेतु
अधिसूचना क्रिषा गण्डा भा 10/10/21।

अतः दा० एका० वाफ सं. 2679/21-22 एवं
2681/21-22 के नमांतरण स्वीकृति को निरस्त करने
की हुका क्रिषा गण्डा भा 10/10/21। इस कार्य के लिए मैं आपका
साह्य आभार व्यक्त करता हूँ।

(५) राजेश
राठौर
(एलिस डायरी)

राजेश
राठौर